

# Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER: .....

Number of Case .....

Year .....

Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Part No. of this Case
	04/06/2024 को पेश है /  <div style="text-align: right; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Princha</div>	
4/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई ।                      प्रतिवादी अधिका अधिका अनुचित ।                      पत्रावली में आज को पत्रावली को ही लेने के कठोर                      प्रस्ताव होकर पत्रावली को ही लेने के कठोर                      को पेश है।</p>	19/6/24
12/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई ।                      प्रतिवादी अधिका अधिका अनुचित ।                      पत्रावली में आज को पत्रावली को ही लेने के कठोर                      प्रस्ताव होकर पत्रावली को ही लेने के कठोर                      को पेश है।</p>	19/6/24
19/06/24	<p>पत्रावली पेश। अचि. वादी उप। अचि. प्रति.                      अनु। अचि. वादी द्वारा लिखित ब्रएस                      पेश की गई। वास्तु आदेश पत्रावली                      दिनांक 20/06/24 को पेश हो।</p>	
20/06/24	<p>पत्रावली पेश। पत्रावली का प्रबलक                      किया गया। ब्रएस पर मनन किया गया।                      वादिनी ग्राम माणकलाव, ख. सं. 153/3 (19                      बिस्वा) भूमि की recorded खातेदार है                      वादिनी की भूमि के उत्तर में सड़क,                      दक्षिण में ख. सं. 154/2/9, पूर्व में ख. सं.                      153/2, पश्चिम में ख. सं. 154 की भूमि है।                      प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी की भूमि पर                      प्रबलक बना दिया गया है। इस कब्जे                      से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे</p>	

# FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

## Order Sheet

CNR NUMBER .....

of ..... at .....

Kind of the Case .....

Number of Case .....

C/34/ Year 2023

पुष्पाकर

Versus

श्रीमान राम व अन्य

Order with initials of Presiding Officer

Brief note of compliance of the Order

एवं जरिद स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादीगण की recorded खातेदारी में उपयोग- उपनोग में दखल ना करें।

पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, रजिस्टर्ड बैयनामा से स्पष्ट है कि वादीगण ख. सं. 153/3 के recorded खातेदार हैं। वादीगण द्वारा राज. काश्तकारी अचि. की धारा 183, 188 के तहत अनुतोष चाहा गया है।

As per section 188 of RTA -  
" Any tenant whose right to enjoyment of whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded may bring suit for the grant of Permanent injunction."

उपरोक्तानुसार वादीगण अनुतोष पाने के अधिकारी हैं। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रति सं. 01 ता 08 को जरिद स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम माणकलाव, ख. सं. 153/3 में वादीगण के उपयोग- उपनोग में दखल ना करें। साथ ही तहसीलदार, जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि वह स्वयं

# Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case

C/34/ Year 2023

पु.प्रा.क.स.

Versus

श्री. राजेश चं. शर्मा

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of of the
	<p>मौके पर उपस्थित रहकर ख. सं 158/3 की निगमानुसार पैमाना करत हुए किसी प्रकार का कब्जा पाये जाने की स्थिति में कब्जेचारी को तैयार करत हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द करे।</p> <p>उपरोक्त आशय की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फॉसल- शुमार होकर दाखिल- दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">Principal सहायक जिला प्रमुख, जालंधर</p>	

